

भारत नरिवाचन आयोग ने हरयाणा में भरती के परणाम रोके

चर्चा में क्यों?

[भारत नरिवाचन आयोग \(ECI\)](#) ने हरयाणा में चल रही भरती प्रक्रियाओं के परणामों की घोषणा पर **वधानसभा चुनाव** संपन्न होने तक रोक लगा दी है।

मुख्य बदि

- **भरती ववरण:** प्रभावति भरतियों में हरयाणा पुलसि में **कांस्टेबलों के पद**, **हरयाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC)** द्वारा **प्रशिक्षति सनातक शकिषक (TGT)** और **शारीरिक प्रशकिषण प्रशकिषक (PTI)** के पद तथा **हरयाणा लोक सेवा आयोग (HPSC)** द्वारा वभिन्नि पद शामिल हैं।
- **रोक का कारण:** यह नरिणय वपिकषी पार्टी की ओर से **आदर्श आचार संहति (MCC)** के उल्लंघन की शकियत के बाद लया गया।
- **आयोग के नषिकर्ष:** ECI ने नरिधारति कया कभरती प्रक्रयाओं में **MCC** का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था, क्योंकि वे चुनाव की तारीखों की घोषणा से पहले शुरू कयि गए थे।
 - हालाँकि नषिपकषता और समान अवसर बनाए रखने के लयि, चुनाव प्रक्रया पूरी होने तक परणाम जारी नहीं कयि जाएंगे।

हरयाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC)

- **हरयाणा कर्मचारी चयन आयोग एक सरकारी नकिय है जो हरयाणा सरकार के वभिन्नि वभिगों और अधीनस्थ कारयालयों में गुरुप बी, सी तथा डी के पदों हेतु कर्मचारियों की भरती के लयि ज़मिमेदार है।**

भारत नरिवाचन आयोग

- **परचिय:**
 - **भारत नरिवाचन आयोग (ECI)** एक स्वायत्त संवैधानकि प्राधकिरण है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रयाओं के प्रशासन हेतु ज़मिमेदार है।
 - इसकी स्थापना संवैधान के अनुसार 25 जनवरी, 1950 को की गई थी (जसे राष्ट्रिय मतदाता दविस के रूप में मनाया जाता है)। आयोग का सचवालय नई दलिली में है।
 - यह नकिय भारत में **लोकसभा, राज्यसभा और राज्य वधानसभाओं** तथा देश में **राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति** के पदों के लयि चुनावों का संचालन करता है।
 - इसका राज्यों में **पंचायतों और नगर पालकियाओं** के चुनावों से कोई सरोकार नहीं है। इसके लयि भारत के संवैधान में अलग से **राज्य चुनाव आयोग** का प्रावधान है।
- **संवैधानकि प्रावधान:**
 - **भाग XV (अनुच्छेद 324-329):** यह चुनावों से संबंधति है और इन मामलों के लयि एक आयोग की स्थापना करता है।

आदर्श आचार संहति (MCC)

- **आदर्श आचार संहति** एक आम सहमतयाला दस्तावेज़ है। राजनीतिक दलों ने खुद ही चुनाव के दौरान अपने आचरण पर नयितरण रखने और आचार संहति के दायरे में काम करने पर सहमतयिताई है।
- यह **नरिवाचन आयोग को संवैधान के अनुच्छेद 324 के तहत दयि गए अधदिश के अनुरूप कार्य करने** में सहायता करता है, जो उसे संसद और राज्य वधानसभाओं के स्वतंत्र तथा नषिपकष चुनावों का पर्यवेकषण करने एवं उन्हें संचालति करने की शक्ति प्रदान करता है।
- आदर्श आचार संहति **चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की तारीख से लेकर** परणाम की घोषणा की तारीख तक लागू रहति है।
- संहति के प्रभावी रहने के दौरान सरकार कसी भी वतितीय अनुदान की घोषणा नहीं कर सकती, सड़कों या अन्यसुवधियाओं के नरिमाण का वादा नहीं कर सकती तथा सरकारी या सार्वजनकि उपक्रम में कोई तदर्थ नयिकृति नहीं कर सकती।

